19.8.16 पत्रावली पेश हुई। वादिनि प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 5, 6, 8, 10 के सम्मन वाद तामिल प्राप्त हुये। जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षी सं. 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया- जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी सं. 2, 3, 4, 7 के सम्मन वाद तामिल/वापस नहीं हुये। इतना लिखने पर विपक्षी सं. 1, 2, 3, 4 के सम्मन वाद तामिल प्राप्त हुये। जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी सं. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9, 10 उपस्थित नहीं। विपक्षी सं. 5, 6, 7, 8 व 9, 10 के कितनी ही मर्तबा विधिवत वारंटे दिलाये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 ने बहस करनी चाही। बहस उभय पक्ष सुनी गयी। बहस के दौरान वादिनि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व इस्तावेजों के आधार पर स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। जवाबे विपक्षी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की इस्तदुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-54-188 R.T.A के तहत प्रस्तुत कर रखा है जिसमें प्रार्थी-वादी की मुख्य दादरसी विभाजन मिस्लएक्ड बाउण्ड्स के आधार पर करते हुए राजस्व रेकार्ड में हिस्से अनुसार विभाजन करना है किन्तु प्रार्थी वादी ने धारा 212 R.T.A का प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा विपक्षीगण-प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्राप्त कर रखी है जबकि वादिनि विपक्षी सं. 1 ने भी कथन किया कि जब तक विवादित काश्तकारी का अस्थायी निषेधाज्ञा खारीज नहीं की जाती है तब तक विभाजन नहीं हो सकता है एक कारण धारा 212 R.T.A खारीज किया जाता है तो विभाजन स्वीकृत होकर हिस्से अनुसार व हिस्से अनुसार डिक्री करार्थ जाने एवं पर प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर सहमति दी है।

अतः न्याय हित में प्रार्थी एवं विपक्षी गणों वादीगण एवं प्रतिवादीगण विवादित काश्तकारी का हिस्से व हिस्से अनुसार विभाजन पर सहमत होने के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 R.T.A को खारीज किया जाता है पत्रावली में कम शुमार की जाकर काम वाद के काम में लाया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

सेवामें,
श्रीमान्
1– श्री
निवा
2– गंगा
मंगल
3– केश
मंगल
4– तारा
मंगल
5– मधु
मंगल
6– बदाम
मंगल

1– श्री ग
मंगल
2– श्री म
निवासी
3– श्री शि
निवासी

गंगा